लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
001/2023 (GCMS 2023/8)	09.01.2023	31.01.2023

अनवान

बाबूलाल टेलर निवासी ए–101, गांधीनगर, सेक्टर नंबर 5, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 01. 11.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./001/2023(सू.अ.)(24.01.2023)/25 दिनांक 09.01.2023 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 24.01.2023 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 24.01.2023 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने नियत दिनांक 24.01.2023 को स्वयं उपस्थित होकर लिखित बहस प्रस्तुत की, जो शामिल पत्रावली होकर रिकॉर्ड पर हैं। अपीलार्थी द्वारा जरिये लिखित बहस अवगत कराया हैं कि उसे आदिनांक तक वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं। अतः वांछित सूचना सुरक्षित डाक के माध्यम से भिजवाये जाने के आदेश प्रदान करावें। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ ने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/ 2023/10 दिनांक 16.01.2023 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः-

1. यह कि प्रार्थी श्री बाबूलाल टेलर निवासी ए-101, सेक्टर नंबर 05, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 02.11.2022 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ हैं।
2. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना तहसीलदार, भदेसर के पत्रांक/रीडर/आरटीआई/2022/129 दिनांक 12.12.2022 से प्राप्त कर इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/382 (403) दिनांक 04.01.2023 से प्रार्थी को भी डाक द्वारा निःशुल्क भिजवायी जा चुकी है।
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना प्रार्थी को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त इस प्रकरण पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती हैं, जिससे अपील अपीलार्थी खारिज योग्य हैं।
4. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील निरस्त करने की कृपा करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, लिखित बहस लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/10 दिनांक 16.01.2023 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा तहसीलदार भदेसर के पत्रांक/रीडर/आरटीआई/2022/129 दिनांक 12.12.2022 से प्राप्त कर पत्रांक/एडीएम/ पीए/लोसूअ/ 2022/382 (403) दिनांक 04.01.2023 से प्रार्थी को डाक द्वारा निःशुल्क भिजवायी जा चुकी है। इस पर हाजिर अपीलार्थी ने अवगत कराया कि उसे आदिनांक तक वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं। ऐसी स्थिति में सूचना के अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना/प्रमाणित प्रतियां तहसीलदार भदेसर से 15 दिवस में प्राप्त कर रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित करते हुए अपील अपीलार्थी निस्तारित की जाती हैं।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **31.01.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

-SD-
(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official